न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 134 / 2015–16

श्री टीपु सुल्तान व अन्य –बनाम– श्री गोपाल राम देवली व अन्य

उपस्थित : श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री एम0एस0 पँवार व श्री सन्दीप बर्त्वाल।

बावत

मौजा शीशमबाड़ा, परगना पछवादून,
तहसील विकासनगर, जनपद देहरादून।

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी कलेक्टर, देहरादून द्वारा अपील संख्या–02 / 2015 अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम टीपू सुल्तान बनाम गोपालराम देवली में पारित आदेश दिनांक 18–11–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण द्वारा प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 गोपाल राम देवली से प्राप्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 18–12–2014 के आधार पर नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष प्रस्तुत किया जो वाद संख्या–2954 / 2014–15 टीपु सुल्तान बनाम गोपाल राम देवली दर्ज हुआ। इस वाद में इश्तहार जारी हुआ और वाद में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। इस नामान्तरण वाद में तहसीलदार द्वारा लेखपाल से आख्या प्राप्त की गई। लेखपाल द्वारा आख्या दिनांक 01–04–2015 में उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत खाते पर भिन्न–भिन्न न्यायालयों के आदेश अंकित हैं और उक्त खाते पर भूमि के क्रय–विक्रय पर रोक लगाई गई थी जिसको जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 20–10–2014 के अनुसार हटाया गया है जो खाते पर अंकित है। लेखपाल आख्या में यह भी उल्लेख किया गया कि भूमि अनुसूचित जाति / जनजाति से सम्बन्धित नहीं है और न ही सीलिंग से प्रभावित है। तहसीलदार द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) की विधिक राय दिनांक 22–04–2015 भी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा उक्त भूमि पर लगी रोक जिलाधिकारी द्वारा हटाये जाने एवं नामान्तरण हेतु कोई विधिक अवरोध न होने का उल्लेख किया गया। तहसीलदार, विकासनगर द्वारा प्रकरण में पुनः लेखपाल आख्या दिनांक 20–05–2015 प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बरों की सूची संलग्न करते हुए खसरा नम्बरों के गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से सम्बन्धित होने का उल्लेख किया गया। तहसीलदार, विकासनगर ने निर्णयादेश दिनांक 13–07–2015 से प्रश्नगत खसरा नम्बरों के गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से सम्बन्धित होने का आधार लेते हुए नामान्तरण वाद निरस्त कर दिया गया। तहसीलदार, विकासनगर के आदेश दिनांक 13–07–2015 के विरूद्व निगरानीकर्तागण ने जिलाधिकारी, देहरादून के समक्ष अपील संख्या–02 / 2015 अन्तर्गत धारा–210 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की जिसमें जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 18–11–2015 से प्रकरण के गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुए वाद को वाद पत्रावली संख्या–15 / 2006–07 सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट के साथ समेकित किया गया। कलक्टर, देहरादून के आदेश दिनांक 18–11–2015 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को विस्तारपूर्वक सुना एवं अधीनस्थ न्यायालयों की वाद पत्रावलियों/अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्तागण द्वारा दिनांक 18–12–2014 को प्रश्नगत भूमि का विक्रय पत्र प्रतिउत्तरदाता गोपाल राम देवली से अपने हक में पंजीकृत कराकर स्थल पर कब्जा प्राप्त कर लिया थ्ज्ञा। विक्रय पत्र के आधार पर निगरानीकर्तागण ने तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष नामान्तरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें हल्का लेखपाल की आख्या दिनांक 01–04–2015 प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा स्पष्ट रूप से प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित न होने व सीलिंग से प्रभावित होने का उल्लेख किया गया और आख्या में यह भी उल्लेख किया गया कि उक्त खाते पर भूमि क्रय–विक्रय पर रोक लगाई गई थी जिसको जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 20–10–2014 के अनुसार हटाया गया है जो खाते पर अंकित है तथा हटाई गई रोक से सम्बन्धित कार्यवाही की छायाप्रति भी संलग्न की गई। नामान्तरण वाद में शासकीय अधिवक्ता की विधिक राय भी प्राप्त की ई जिसमें उनके द्वारा आख्या दिनांक 22–04–2015 से स्पष्ट रूप से लगाई गई रोक को जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 20–10–2014 से हटाये जाने एवं उप जिलाधिकारी, विकासनगर के आदेश दिनांक 20–10–2014 एवं पुनः जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 10–12–2014 के अनुपालन में हटाये जाने का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जिसके आधार पर विक्रय पत्र सम्पादित हुआ। अतः विक्रय पत्र एवं हल्का लेखपाल की आख्या तथा जिलाधिकारी के प्रश्नगत खाते पर लगाई रोक को हटाये जाने सम्बन्धी स्पष्ट आदेश के आधार पर निगरानीकर्तागण के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक अवरोध नहीं था। शासकीय अधिवक्ता की आख्या दिनांक 22–04–2015 पश्चात दिनांक 15–05–2015 को तहसीलदार विकासनगर द्वारा हल्का लेखपात को पुनः अभिलेखों से जांच कर पुनः प्रश्नगत भूमि के गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से सम्बन्धित होने अथवा न होने हेतु जांच आख्या प्रेषित किए जाने के आदेश पारित किए गए। लेखपाल द्वारा अपनी अधूरी आख्या दिनांक 20–05–2015 को तहसीलदार को प्रेषित की गई जिसमें प्रश्नगत खसरा नम्बरों को गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से सम्बन्धित होना बताया गया जबकि अभिलेखों में स्पष्ट रूप से जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 20–10–2014 व उसी क्रम में आदेश दिनांक 10–12–2014 से उक्त खसरा नम्बरों के गोल्डन फारेस्ट से आच्छादित न होने एवं तद्नुसार विक्रय पत्र रोक हटाते हुए अभिलेखों को दुरस्त किये जाने के आदेश का अंकन है। परन्तु तहसीलदार ने अभिलेखों में स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी नामान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्व निगरानीकर्तागण ने कलक्टर महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की और अपील में पूर्ण बहस करते हुए लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई जिसमें प्रश्नगत खसरा नम्बरों के गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से आच्छादित न होने का स्पष्ट तर्क दिया गया और उपरोक्तानुसार यह भी तर्क दिया गया कि जिलाधिकारी, देहरादून के आदेश दिनांक 20–10–2014 एवं 10–12–2014 से क्रय–विक्रय एवं हस्तान्तरण पर लगाई गई रोक को हटाया गया है जिसका अंकन प्रश्नगत खतौनी खाता में है परन्तु जिलाधिकारी द्वारा विधि विरूद्व प्रश्नगत अपील को गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से सम्बन्धित एक अन्य वाद संख्या–15/2006–07 सरकार बनाम गोल्डन फारेस्ट के साथ समेकित किये जाने के आदेश दिनांक 18–11–2015 पारित कर दिये जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। खतौनी में स्पष्ट रूप से प्रश्नगत खसरा नम्बरों को जिलाधिकारी के आदेश से हस्तान्तरण एवं क्रय–विक्रय पर लगाई रोक को हटाये जाने का आदेश उपलब्ध है परन्तु जिलाधिकारी द्वारा अपने ही आदेश को न मानकर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है और निगरानीकर्तागण का नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) का प्रतिउत्तरदाता राज्य सरकार की ओर से तर्क है कि लेखपाल की आख्या में प्रश्नगत खसरा नम्बरों के गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है जिसके आधार पर नामान्तरण वाद निरस्त हुआ और कलक्टर, देहरादून द्वारा भी तद्नुसार प्रकरण को गोल्डन फारेस्ट से सम्बन्धित वाद के साथ निस्तारण हेतु समेकित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है और निगरानी निरस्त होने योग्य है।

प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण ने प्रतिउत्तरदाता संख्या–01 श्री गोपाल राम देवली से प्रश्नगत भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की थी जिसके नामान्तरण हेतु उन्होंने तहसीलदार, विकासनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत किया। इस नामान्तरण वाद में तहसीलदार ने लेखपाल आख्या एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की राय भी प्राप्त की गई। मैंने लेखपाल आख्या दिनांक 01–04–2015 का भी भली–भाँति अवलोकन किया। लेखपाल ने इस आख्या में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है कि प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित नहीं है और ना ही सीलिंग से प्रभावित है। लेखपाल ने जिलाधिकारी द्वारा प्रश्नगत खतौनी/खाते पर जिलाधिकारी, देहरादून के आदेश दिनांक 20–10–2014 से क्रय–विक्रय एवं हस्तान्तरण पर लगाई गई रोक को हटाने सम्बन्धी आदेश का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया। इसी प्रकार सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व), विकासनगर ने भी अपनी विधिक राय दिनांक 22–04–2015 में यह स्पष्ट उल्लेख किया जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 20–10–2014 तथा आदेश दिनांक 10–12–2014 से प्रश्नगत खसरा नम्बरों के क्रय–विक्रय एवं हस्तान्तरण पर लगाई गई रोक को हटाये जाने के कारण भूमि अन्तरण व केतागण का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किये जाने में कोई विधिक अवरोध न होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया। मैंने जिलाधिकारी/कलेक्टर, देहरादून के प्रश्नगत आदेश दिनांक 20–10–2014 एवं 10–12–2014 का भी भली–भाँति अध्ययन किया। विद्वान कलक्टर/जिलाधिकारी, ने आदेश दिनांक 20–10–2014 एवं 10–12–2014 से प्रश्नगत खसरा नम्बरों के क्रय–विक्रय एवं हस्तान्तरण पर लगी रोक को हटाये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और इन आदेशों का अंकन खतौनी फसली वर्ष 14–16–1421 स्पष्ट रूप से किया गया है। अतः यह अत्यधिक आश्चर्य का विषय है कि यदि प्रश्नगत खसरा नम्बरों के क्रय–विक्रय एवं हस्तान्तरण पर लगी रोक को जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा अपने आदेशों से निरस्त कर दिया गया तो किस आधार पर प्रश्नगत खसरा नम्बरों को गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से प्रभावित होना मान लिया गया। स्वंय जिलाधिकारी/कलक्टर ने आदेश पारित कर प्रश्नगत खसरा नम्बरों के क्रय–विक्रय एवं हस्तान्तरण पर लगी रोक को हटा दिया गया तो पुनः जिलाधिकारी/कलक्टर, देहरादून द्वारा किस आधार पर प्रश्नगत खसरा नम्बरों को गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से प्रभावित होना मान लिया गया। मैंने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से प्रभावित सूची जो इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें स्पष्ट रूप से मौजा शीशमबाड़ा में उक्त खसरा नम्बरों का कोई उल्लेख नहीं है जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत खसरा नम्बर गोल्डन फारेस्ट से प्रभावित नहीं हैं। तहसीलदार द्वारा भी जब प्रश्नगत प्रकरण में लेखपाल आख्या प्राप्त की गई जिसमें स्पष्ट रूप से प्रश्नगत खसरा नम्बरों के क्रय–विक्रय एवं हस्तान्तरण पर लगी रोक को जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा आदेश दिनांक 20–10–20114 एवं 10–12–2014 से हटाये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया था तो तहसीलदार द्वारा भी बिना किसी आधार के प्रश्नगत खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में लेखपाल आख्या प्राप्त कर प्रश्नगत खसरा नम्बरों के गोल्डन फारेस्ट कम्पनी से प्रभावित होना मान लिया जाना न्यायोचित नहीं हैं। जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा प्रश्नगत खसरा नम्बरों के क्रय–विक्रय एवं हस्तान्तरण पर लगी रोक हटाये जाने सम्बन्धी स्पष्ट आदेशों

जिनका अंकन खतौनी फसली 1416–1421 में स्पष्ट है तो केतागण/निगरानीकर्तागणों के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किए जाने में कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में यह प्रथमदृष्टया ही परिलक्षित होता है कि तहसीलदार, विकासनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–07–2015 तथा विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2015 विधिक रूप से त्रुटियुक्त हैं जो निरस्त होने योग्य हैं। निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार होकर प्रकरण तहसीलदार, विकासनगर को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाना उचित है कि चूँकि प्रकरण अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट है तो केतागण/निगरानीकर्तागणों के पक्ष में नामान्तरण आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

बलयुक्त होने के कारण निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान कलेक्टर, देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–11–2015 तथा तहसीलदार, विकासनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–07–2015 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, विकासनगर को निर्देशित किया जाता है कि वे तद्नुसार नामान्तरण के आदेश पारित करें। कलक्टर, देहरादून तद्नुसार नामान्तरण वाद पत्रावली नामान्तरण प्रकिया हेतु तहसीलदार, विकासनगर को शीघ्रता से प्रेषित करें। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली सँचित हो।

18.1.16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 18/1/16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

18/1/16

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।